(520)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.6(29)नवि/3/2004 जयपुर दिनांक: 03.12.07

:: आदेश ::

राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.6(29)नवि/3/2004 दिनांक 27.10.2005 में बिन्दु संख्या–1 में प्रावधान किया हुआ है कि अवाप्तशुदा कृषि भूमि के बदले 20 प्रतिशत आवासीय एवं 5 प्रतिशत व्यावसायिक विकसित भूमि आवंटित की जायेगी।

उक्त परिपत्र में बिन्दु संख्या–1 में निम्न दिशा–निर्देश जोड़े जाते है :–

1. स्पेशल इकोनोमिक जोन में आने वाली अवाप्तशुदा भूमि हेतु
   a. आवासीय/आबादी भूमि की अवाप्ति के बदले 40 प्रतिशत आवासीय एवं 10 प्रतिशत व्यावसायिक भूमि आवंटित की जाये
   b. वाणिज्यिक भूमि की अवाप्ति के बदले 50 प्रतिशत वाणिज्यिक भूमि आवंटित की जाये
   c. 90 बी की पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न हुई भूमि के लिए 30 प्रतिशत आवासीय एवं 7.5 प्रतिशत व्यावसायिक भूमि आवंटित की जाये।

(गुरविन्दर सिंह)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, माननीय राज्यमंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
6. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
8. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
9. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
10. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग।
11. शासन उप सचिव, नगरीय विकास विभाग।
12. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त।
13. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव